NATION TAX MARKET

कार्यालय प्रधान आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
CENTRAL GOODS AND SERVICE TAX COMMISSIONERATE, JAIPUR
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, सी- स्कीम, स्टेचू सर्किल, जयपुर
NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, C-SCHEME, STATUE CIRCLE, JAIPUR
(सतर्कता शाखा/ **Vigilance Branch**)

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश दिनांक 13.12.2023 में संशोधन करते हुए, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन फा.सं. F. No. 11013/2/2014-Estt (A-III) दिनांक 16-07-2015 के दिशा-निर्देशो की अनुपालना में, आंतरिक शिकायत समिति के गठन हेतु, निम्नलिखित सदस्यों को नामित किया जाता है:

क्रं. सं.	अधिकारी का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती	पद नाम व तैनाती का स्थान	फोन नं. एवं मेल आईडी	समिति का गठन
1	श्रीमती बवनीत तुली	अपर आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, जयपुर जोन, जयपुर	फोन नं: 9598433870 ई-मेल आईडी: tuli.b.irs@gov.in	अध्यक्ष
2	डा. मृदुल भसीन मुस्कान	45, हथरोई जयपुर-302001	फोन नं 9414064960 ई-मेल आईडी mridul_b50@rediffmail.com	सदस्य (धारा 4 (2) C के अंतर्गत)
3	श्रीमती अनुपमा सक्सेना	सहायक आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, जयपुर जोन, जयपुर	फोन नं: 9426322477 ई-मेल आईडी: anupamas.c018901@nic.in	सदस्य
4	श्री जीवन राम ढाका	सहायक आयुक्त (A.E.), केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर	फोन नं: 9414779003 ई-मेल आईडी: jeewanrd.g108901@gov.in	सदस्य
5	श्रीमती प्रिया गुप्ता	अधीक्षक, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर	फोन नं: 8949927787 ई-मेल आईडी: priyag.g100901@gov.in	सदस्य

2. केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर में कार्यस्थल पर किसी भी महिला द्वारा लैंगिक उत्पीडन की शिकायत, आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष की जा सकती है | उक्त समिति परिवाद की जाँच तथा आवश्यक कार्यवाही अधिनियम के अध्याय 4 तथा 5 के प्रावधानों के तहत करेगी |

3. आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्ष तथा सदस्य समिति के गठन की दिनांक से 1 वर्ष तक पद धारित करेंगे |

4. गैर सरकारी सदस्य (क्रम स. 2) को आंतरिक शिकायत समिति की कार्यवाही करने के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) नियम, 2013 के नियम 3 के तहत फीस तथा भत्ते देय होंगे |

5. उक्त अधिनियम की धारा 21 के तहत समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रधान आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर को दिनांक 31.03.2025 को प्रस्तुत करेगी |

6. कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से व्यथित कोई भी महिला अपनी शिकायत ऑनलाइन शिकायत तंत्र 'SHe Box' (http://www.shebox.nic.in/) पर भी दर्ज करा सकती है |

Signed by
Chetan Kumar Jain
(चेतन कुमार जैन)
Date: 10-05-2024 17:20:10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :

1. अपर आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, जयपुर जोन, जयपुर |
2. आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, अलवर / उदयपुर / जोधपुर |
3. आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय (अपील्स), जयपुर / जोधपुर |
4. आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय (अंकेक्षण), जयपुर / जोधपुर |
5. आयुक्त, सीमा शुल्क आयुक्तालय, जोधपुर (मुख्यालय- जयपुर) |
6. उप/ सहायक आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग- A/B/C/D/E/F/G/H/I- जयपुर एवं J/K- अजमेर |
7. अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को व्यक्तिगत प्रति |
8. मुख्य लेखाधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (Hqrs./ DDO) |
9. समस्त शाखा प्रभारी, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर (मुख्या./ सेवोत्तम/ कर-अपवंचना/ तकनीकी/ डी.जी.ए.आर.एम./ विधि/ पुनरावलोकन/ न्यायनिर्णय/ वसूली/ सिस्टम/ सेरा-ऑडिट/ प्रशिक्षण/ सी.आर.यु./ राजभाषा/ सी.सी.यु.)
10. अधीक्षक (सिस्टम), विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु |
11. सूचना पट्ट |

प्रधान आयुक्त